न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11 / 2025 (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025 / 160

उनवान

विकास अधिकारी पचायत समिति सांगेद,जिला कोटा

(निगराकार)

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कनवास, प0स0 सांगोद
2. मुख्य प्रबधंक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार कोटा।

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा (निगराकार)

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा –97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 16/12/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी कम 1 ग्राम पंचायत कनवास का सचिव ग्राम विकास अधिकारी है तथा पंचायत कनवास की ओर से समस्त विधायी कार्य करने के लिए सक्षम अधिकारी है। प्रतिपक्षी कम 2 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा के मुख्य प्रबधंक के पद पर कार्यरत है। प्रतिपक्षी कम 1 के द्वारा प्रतिपक्षी कम 2 के आवेदन पर दिनांक 20.12.2024 को आबादी भूमि का विकय विलेख नियम 162 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनवास द्वारा आबादी भूमि खसरा नम्बर 2171 में 1880 वर्गमीटर एरिया का पट्टा बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त जारी किया गया। अप्रार्थी कम 2 द्वारा उक्त पट्टा जारी किये जाने के बाद बस स्टेण्ड निर्माण हेतु अपर्याप्त बताते हुए 7 हजार वर्ग मीटर भूमि की मांग की गई।

उक्त आपत्ति प्राप्त होने पर अप्रार्थी कम 1 द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने के संबध में प्रार्थी के समक्ष आवेदन किया गया, दिनांक 11.09.2025 को प्रार्थी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष प्रकरण को रखा गया जिसमें प्रकरण में विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव संख्या –4 में श्रीमान के समक्ष पट्टा निरस्त कराने हेतु निगरानी याचिका दायर करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उक्त प्रस्ताव की पालना में श्रीमान के समक्ष उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने के संबध में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें अप्रार्थी कम 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अतः श्रीमान के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत कनवास के अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिपक्षी कम 1 द्वारा प्रतिपक्षी कम 2 को दिनांक 20.12.2024 को खसरा नम्बर 2171 के बाबत् जारी किया गया पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से जारी पट्टे को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी जर्ये समन्न की गई। गैर निगरारकार कम 1 व 2 स्वंय उपस्थित हुए। गैर निगराकार कम 1 व 2 की ओर से पट्टे को निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया गया। गैर निगराकार कम 2 द्वारा अपने पत्रांक/5059 दिनांक 18.12.2025 से अवगत करवाया कि परिवर्तित बजट 2024–2025 के अन्तर्गत वित एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई धोषणा की कियान्विति हेतु कनवास में बस स्टेण्ड निर्माण हेतु खसरा न. 2171 के बाबत् मिसल संख्या 2 विलेख दायर 15.08.2024 पट्टा संख्या 5655 जारी किया था जिस पर बस स्टेण्ड बनाना संम्भव नही है। विभाग द्वारा पूर्व में जारी पट्टे संख्या 5655 को निरस्त किये जाने की सहमति जाहिर की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील निगराकार की बहस सुनी गई। वकील निगराकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की याचिका निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत कनवास द्वारा जारी पट्टा सं. 5655 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली में ग्राम कनवास द्वारा परिवर्तित बजट 2024–2025 के अन्तर्गत वित एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई धोषणा की कियान्विति हेतु कनवास में बस स्टेण्ड निर्माण हेतु खसरा न. 2171 के बाबत् मिसल संख्या 2 विलेख दायर 15.08.2024 पट्टा संख्या 5655 को निरस्त किये जाने हेतु उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। गैरनिगराकार कम 2 ने भी अवगत करवाया है कि उक्त भूमि पर बस स्टेण्ड का निर्माण नही करवाया जा है ज्यादा भूमि की आवश्यक्ता होगी ऐसी स्थिति में पुनः ज्यादा भूमि का पट्टा जब तक जारी नही किया जा सकता तब पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त नही हो। ऐसी स्थिति में वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत याचिका निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत याचिका निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कनवास द्वारा बस स्टेण्ड निर्माण हेतु खसरा नम्बर 2171 मिसल संख्या 2 विलेख दायर दिनांक 15.08.2024 पट्टा संख्या 5655 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा